मोदी ने सियासत के फेमिली बिजनेस होने की आम धारणा को खत्म किया: सूर्या

नए भारत की बुनियाद रखी

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। कर्नाटक से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले पांच वर्षों में देश की राजनीति बदली और सियासत के फेमिली बिजनेस होने की आम धारणा को खत्म कर दिया जिस वजह से अब आम परिवारों के युवा भी राजनीति में आने के सपने देख सकते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सूर्या ने कहा, मोदी सरकार में नए भारत की बुनियाद रखी गई है और अर्थव्यवस्था साफ-सुथरी और पारदर्शी हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आजादी के बाद पहली बार देश के लोगों को हिंदू संस्कृति पर गौरव का अहसास हुआ। बेंगलुरू-दक्षिण से निर्वाचित सूर्या ने सदन में पहली बार अपनी रखते हुए कहा कि मोदी के कारण ही उनके जैसा मध्य वर्ग का युवा लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच सका है। मोदी ने राजनीति बदल दी और उस पूरी धारणा को खत्म कर दिया कि राजनीति फेमिली बिजनेस है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू किया गया और अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया। सूर्या ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्ष ने अपने आचरण में बदलाव नहीं किया तो अगली बार सदन में सभी 543 सदस्य भाजपा के होंगे।भाजपा के दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कट मनी का चलन है और राज्य की जनता को ऐसे शासन से मुक्त दिलाने की जरूरत है। उन्होंने कर्नाटक की वर्तमान कांग्रेस..जदएस सरकार पर भी निशाना साधा।

लोकसभा में द्रमुक - भाजपा में नोकझोंक

तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के आरोपों, हिंदी और कावेरी के मुद्दे पर हुई नोकझोंक

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। द्रमुक के दयानिधि मारन ने सोमवार को लोकसभा में तमिलनाडु में कथित भ्रष्टाचार और कावेरी मुद्दे को उठाया और मांग की कि मोदी सरकार को जिन राज्यों के लोगों ने वोट दिया और जिन राज्यों के लोगों ने वोट नहीं दिया..सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। द्रमुक सदस्य की कुछ टिप्पणियों को लेकर भाजपा और द्रमुक सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के दयानिधि मारन ने कहा कि भाजपा की ताकत उसकी वजह से नहीं बल्कि विपक्ष की कमजोर की वजह से है।

सत्तारूढ़ पार्टी को विजय के उल्लास के बजाय इसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने भाजपा एवं उनके सहयोगियों को वोट नहीं दिया और उन्हें सोचना एवं विचारना चाहिए कि वहां के लोगों ने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया। मारन ने कहा कि मोदी सरकार को जिन राज्यों के लोगों ने वोट दिया और जिन राज्यों के लोगों ने वोट नहीं दिया..सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। द्रमुक नेता ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार की बात की थी और आज देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार तमिलनाडु में है जहां राजग के सहयोगी दल (अन्नाद्रमुक) की सरकार है। द्रमुक सदस्य के इस बयान पर भाजपा के निशिकांत दुबे और राजीव प्रताप रूड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि सदन में राज्य सरकार और विधानसभा के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला जा सकता। सदन में अन्नाद्रमुक के एकमात्र सदस्य रवींद्रनाथ कुमार भी विरोध जताते हुए देखे गये। हालांकि मारन ने कहा कि भ्रष्टाचार पर बात की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि देश में जल संकट गहरा रहा है और खासतौर पर तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में विकट स्थिति है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा। मारन ने कहा कि एक तरफ तमिलनाडु पर हिन्दी थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इस पर भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने विरोध किया और मांग कि उनके (मारन के) भाषण के उस शब्द हो हटाया जाए जिसमें यह कहा गया है कि तमिलनाडु के लोगों पर हिन्दी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। रूडी ने कहा कि किसी पर हिन्दी थोपने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और उनकी टिप्पणी ठीक नहीं है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी मारन के भाषण के कुछ शब्दों को हटाने की मांग की और कहा कि ये असंसदीय हैं और इन्हें रिकार्ड से हटाया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर विचार करने का आश्वसन दिया। बहरहाल द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने सदन में कावेरी नदी जल बंटवारे से संबंधित विषय को भी उठाया। इसका कर्नाटक के भाजपा सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय में है और अदालत के अधीन किसी विषय पर बोलना ठीक नहीं है।

फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाएगी सरकार?

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक अथवा वैकल्पिक बनाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने मंगलवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय ने कल ही सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर इस बारे में अपनी राय देने का अनुरोध किया है।

श्री रुपाला ने कहा कि राज्य सरकारों, विभिन्न किसान संगठनों और अन्य हितधारकों की ओर से इस संबंध में लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके मद्देनजर इनसे रायशुमारी करने का निर्णय लिया गया है। फसल बीमा योजनाओं में संशोधन अथवा सुधार एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न हितधारकों से सलाह-मशविरे के बाद समय-समय पर सुझाव मांगे जाते है तथा निर्णय किये जाते हैं। गौरतलब है कि यह योजना अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य किया गया है, जबकि गैर-ऋणी किसानों के लिए इसे स्वैच्छिक बनाया गया है। अब इसे सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाने की मांग की जा रही है। गोकुल मिशन से संबंधित एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गोवंश के संरक्षण के लिए नई-नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से आने वाले पाँच-दस साल में भारतीय नस्ल की गायें विदेशी नस्ल की गायों की तरह ही दूध देंगी। कांग्रेस के शशि थरूर ने फर्जी गौ-संरक्षण समितियों की ओर से 'मॉब लिंचिंग' और हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की जानकारी माँगी। उनका कहना था कि इन फर्जी समितियों के कारण कानून-व्यवस्था का प्रश्न सदैव उठता है।

भारत सुपर आपातकाल से गुजर रहा है : ममता बनर्जी

नई दिल्ली, (भाषा)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को 1975 में लगाए गए आपातकाल के 34 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश पिछले पांच सालों में सुपर आपातकाल से गुजर रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आज ही के दिन आपातकाल लगाया था जो 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा था। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, आज 1975 में घोषित आपातकाल की वर्षगांठ है। पिछले पांच साल से देश सुपर आपातकाल से गुजर रहा है। हमें अपने इतिहास से सबक सीखना चाहिए और देश में लोकतांत्रिक ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए।

मंत्रियों की नियुक्ति पर अदालत को भेजेंगे जवाब : मुख्यमंत्री

मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मंगलवार को कहा कि राधाकृष्ण विखे पाटिल और राज्य सरकार में दो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया जाएगा। अदालत ने सरकार से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा था। उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष विखे पाटिल, राकांपा से शिवसेना में शामिल हुए जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई(ए) नेता अविनाश महातेकर से जवाब मांगा था, जिन्हें हाल ही में फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनाया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई को चार हफ्तों के लिये टालते हुए कहा था, प्रतिवादियों (मंत्रियों) को भी याचिका पर आपत्ति जताने या अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। विधानसभा में इस मुद्दे पर फडणवीस ने कहा, नोटिस प्राप्त होने के बाद उच्च न्यायालय को जवाब भेजा जाएगा।...उच्च न्यायालय को इस मामले में सुनवाई के लिये अतिशीघ्रता महसूस नहीं हुई, इसलिये उसने जवाब के लिये चार हफ्ते का वक्त दिया है।

मंत्रियों के पानी के बकाए बिल के भुगतान के लिए राकांपा का प्रदर्शन

मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आधिकारिक बंगलों के पानी के बकाये बिल के भुगतान के लिये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) की युवा इकाई ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। राकांपा की युवा शाखा की मुंबई इकाई ने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर भीख मांगो प्रदर्शन किया। इससे पहले मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री और कई अन्य मंत्रियों के बंगले नगर निकाय के पानी का बिल नहीं चुकाने वालों में शामिल हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के मुताबिक मुख्यमंत्री के बंगले वर्षा पर पानी के बिल के तौर पर सात लाख 44 हजार रुपये का बकाया है। राकांपा की युवा शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज चव्हाण ने कहा, जब आम आदमी एक-दो महीने बिल का भुगतान नहीं कर पाता तो बीएमसी पानी का कनेक्शन काट देता है।

State Consumer Disputes Redressal Commission
'A' Block 1st Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
No. 394/13 Dated 15.05.2019
In the matter of UTI Assel Management Co. Ltd.
Vs
Sh. Tara Chand Jain

To,
2. M/s S.B. & Co. UG-6 Warld Tewle Centre Barakhamba Road, New Delhi-1
3. M/s M.N. Dusler & Co. Ltd., Matulya Centre-A, 245, Bupal Marg, Lower Puearl, (West) Bombay-400013.

Whereas an appeal against you has been made to this commission for adjudication. You hereby summoned to appear in this Commission in person or by a pleader or an authorised agent duly instructed and able to answer all the material question in relation to the appeal on 16.07.19 at 10.30 a.m. sharp.

You Are further directed to file complete reply of your defense on the aforesaid date and take note that in default of your appearance on the said date the matter will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Commission on this 15.05.2019.

Seal **Register State Commission**

वीर अर्जुन
वर्गीकृत विज्ञापन
Change of Name

I, Komila Rani W/o. Late Sh. Ravinder Singh Dalal R/o. WZ-120, Gali No.2, Sadh Nagar, Palam Colony, Palam Village, New Delhi -110045 have changed my name after my marriage from Komila Rani to Komal Dalal for all future purposes. **C-20348**

Notified that I Ankit S/o. Sh. Rajesh Kumar R/o. Village Pirgunj, Sitalpur, Saran, Bihar-841221 have changed my name to Ankit Kumar as per affidavit no- IN-DL08939629983712R shown on before notary public dated 25/06/2019. **C-20349**

नाम परिवर्तन

मैं, दलजीत सिंह पुत्र श्री हरदित सिंह, निवासी म.नं. 14/3, 14/4, ब्लॉक नं.-14, प्रेम नगर, जनकपुरी, नई दिल्ली ने अपना नाम परिवर्तित करके दलजीत सिंह बिन्द्रा रख लिया है। भविष्य में मुझे दलजीत सिंह बिन्द्रा के नाम से जाना जाए। **C-20347**

Lost & Found

It is notified for the information that my original Qualifying Certificate of Secondary School Examination Year 2014 Roll No. 8143983 & original Qualifying Marksheet of Senior Secondary School Examination Year 2016 Roll No. 9140476 issued by CBSE has been actually stolen. Rohan Kumar Singh S/o Anil Singh R/o Khasra No. 818/1, Burari, Syndicate Bank Wali Gali, Burari, Delhi-110084. **C-34278**

I, Rais Ahmed C/o Hammer Toys Company, 7815/9, Ilyas Building, Nai Basti, Bara Hindu Rao, Delhi-06 have lost my original property document i.e. original Sale Deed vide APP. No. 8557 of Property No. J-101, Sector-02, Bawana Industrial Area, Delhi. Finders may contact at above address. **C-34278**

खोया + पाया

मेरी सी.बी.एस.ई. बोर्ड, 10वीं वर्ष 2014, अनुक्रमांक 5193461 तथा यूपी बोर्ड, 12वीं वर्ष 2017, अनुक्रमांक 0240847 के मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र वास्तव में खो गई है। शुभम त्यागी पुत्र धर्मेन्द्र त्यागी, पता: म.नं. 270घ, जगतपुरी-2, मोदीनगर, गाजियाबाद। **C-34280**

Dhanuka Agritech Limited
Regd. Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 (India) **Ph.:** +91-11-2353 4551-52
Corporate Office: 14th Floor, Building 5A, Cyber City, DLF Phase-III, Gurugram-122002 (Haryana)
E-mail: investors@dhanuka.com, **Website:** www.dhanuka.com
CIN:L24219DL1985PLC020126

NOTICE FOR ISSUANCE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE

The following Share Certificate of the Company has been reported lost/misplaced by the Shareholder/his legal heirs and request is been received for issuance of Duplicate Share Certificate:

Folio No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares	Share Certificate No.	Distinctive Nos.
897	BHARATI LIMBAJIRAO KENDRE MANIK L.KENDRE	500	897	0002037846 - 0002038345

Any person(s) who have claim against above listed share certificate(s), please lodge their claim with all supporting documents at registered office of the Company within 15 days of this notice. If no valid claim/objection is received within above stated period, the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to above listed person(s)/his legal heir as request submitted for transmission also and no further claim would be entertained in this regard.

For Dhanuka Agritech Limited
sd/-
(Jyoti Verma)
Company Secretary (FCS-7210)

Place: Gurugram
Dated: 25.06.2019

नौएडा
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर
वेबसाइट: www.noidaauthorityonline.com

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

UPLC लखनऊ में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से निम्न जॉब संख्याओं हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है, जिन्हें निम्नानुसार तिथियों तक अपलोड किया जा सकता है एवं प्राप्त ई–निविदाओं को उनके सम्मुख दर्शायी गई तिथियों पर खोला जाएगा। निविदा सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्त नौएडा प्राधिकरण की वेबसाईट **Website : www.noidaauthorityonline.com** एवं UPLC की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाईट देखते रहें।

क	(1)	59 / एस०पी०ई० / पी०ई० (पी०एच०–I) / ई०–टी० / 2018-19	डिजास्टर मैनेजमैन्ट सैल की सफाई व्यवस्था का कार्य।	7,12,509.48
	(2)	62 / एस०पी०ई० / पी०ई० (पी०एच०–I) / ई०–टी० / 2018-19	सैक्टर–50 के मेघदूत पार्क में स्थिति टॉयलेट की सफाई का कार्य।	9,50,012.64

जिन्हे दिनांक **03/07/2019** को **5.00** बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई–निविदाओं की प्री–क्वालिफिकेशन दिनांक **04/07/2019** को **11.00** बजे खोली जायेगी।

(एस० सी० मिश्रा)
वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता
(जन स्वास्थ्य), नौएडा

कार्यालय:-
सैक्टर 39, नौएडा

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली
कम्पनी क्षेत्राधिकार
क. या. सं. 449/2016
में
सी.ए. नं. 343/2019
निम्न के मामले में:

नित्य कुकरेजा ....याचिकाकर्ता
बनाम
एबीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ....प्रतिवादी
निम्न के मामले में
डोव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ....आवेदक
बनाम
एबीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ....प्रतिवादी

गेटवे टॉवर प्रोजेक्ट, फरीदाबाद में यूनिट खरीददारों की बैठक के आयोजन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कम्पनी आवेदन सीए नं. 343 ऑफ 2019 में अपने आदेश दिनांक **23 मई, 2019** द्वारा मैसर्स डोव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., जो कि उस भूमि के मालिक है जहां पर गेटवे टॉवर्स का विकास किया जा रहा है, द्वारा प्रस्तावित योजना पर विचार करने और संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के प्रयोजन हेतु गेटवे टॉवर प्रोजेक्ट (डोव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (भूस्वामी) शामिल) और गेटवे टॉवर प्रोजेक्ट के यूनिट खरीददारों) के संबंध में मैसर्स एबीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एक वर्ग के लेनदारों की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आगे सूचित किया जाता है कि गेटवे टॉवर प्रोजेक्ट (डोव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (भूस्वामी) शामिल) और गेटवे टॉवर प्रोजेक्ट के यूनिट खरीददारों शामिल) के संबंध में मैसर्स एबीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एक वर्ग के लेनदारों की बैठक **20 जुलाई, 2019 को प्रात: 11.00 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (लैंडमार्क: जंतर मंतर के सामने एवं पार्क होटल के नजदीक)** में आयोजित की जाएगी जिसमें सभी यूनिट खरीददारों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है।

योजना की प्रतियां, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 393 के अंतर्गत विवरण और प्रॉक्सी फार्म सभी यूनिट खरीददारों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेज दिये गये हैं और यह डोव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के पंजीकृत कार्यालय डी-22, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाइट (www.doveinfra.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं। कथित दस्तावेज ई-मेल gatewaytower@doveinfra.in पर अनुरोध भेजने पर ई-मेल के माध्यम से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

बैठक में भाग लेने और वोट देने का पात्र व्यक्ति कथित बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप में सभी प्रॉक्सी फार्म डोव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के पंजीकृत कार्यालय डी-22, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 या आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जमा कर दिया गया हो। प्रॉक्सी फार्म डोव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते है या वेबसाइट (www.doveinfra.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बैठक के लिए श्री एस पी कामराह, अधिवक्ता को अध्यक्ष एवं श्री अनंत सिंह उबेजा, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त वर्णित योजना, यदि बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, के अनुवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

हस्ता./-
श्री एस पी कामराह
(माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अध्यक्ष)

दिनांक 24 जून, 2019

फॉर्म क्रमांक: १५५ (देखें नियम ३२६)
(ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक समापन)
अंतिम मीटिंग के आयोजन का नोटिस
कम्पनी का नाम: कारमाटे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

एतद द्वारा कम्पनी एक्ट, १९५६ की धारा ५०९ के तहत यह नोटिस प्रदाय है कि उपरोक्त कम्पनी के सदस्यों की जनरल मीटिंग शुक्रवार, अगस्त २०१९ के नवें दिन १० बजे, कम्पनी के प्रथम तल , द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर, ७० नेहरू पैलेस, आई ऍफ सी आई टॉवर के पीछे नई दिल्ली ११००१९ स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय पर होगी. इस मीटिंग का उद्देश है सदस्यों के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत करना कि किस प्रकार कम्पनी का समापन एवं कम्पनी की सम्पत्ति का निपटारा किया गया है. साथ ही यह भी कि ऋणशोधक एवं ऋणदाता यदि कम्पनी के संबंद्घ में विशेष प्रस्ताव को लेकर किस प्रकार कम्पनी एवं ऋणशोधक की पुस्तिकाओं, लेखों एवं दस्तावेजों का निपटारा होगा पर कोई विवरण प्रस्तुत करें तो उसे सुनने हेतु इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है .

दिनांक:- जून २०१९ का २६ वां दिन

मुकेश सिंघल
ऋणशोधक

फॉर्म क्रमांक: १५५ (देखें नियम ३२६)
(ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक समापन)
अंतिम मीटिंग के आयोजन का नोटिस
कम्पनी का नाम: कारमाटे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

एतद द्वारा कम्पनी एक्ट, १९५६ की धारा ५०९ के तहत यह नोटिस प्रदाय है कि उपरोक्त कम्पनी के ऋणदाता की मीटिंग शुक्रवार, अगस्त २०१९ के नवें दिन २ बजे, कम्पनी के प्रथम तल , द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर, ७० नेहरू पैलेस, आई ऍफ सी आई टॉवर के पीछे नई दिल्ली ११००१९ स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय पर होगी. इस मीटिंग का उद्देश है सदस्यों के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत करना कि किस प्रकार कम्पनी का समापन एवं कम्पनी की सम्पत्ति का निपटारा किया गया है. साथ ही यह भी कि ऋणशोधक एवं ऋणदाता यदि कम्पनी के संबंद्घ में विशेष प्रस्ताव को लेकर किस प्रकार कम्पनी एवं ऋणशोधक की पुस्तिकाओं, लेखों एवं दस्तावेजों का निपटारा होगा पर कोई विवरण प्रस्तुत करें तो उसे सुनने हेतु इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है .

दिनांक:- जून २०१९ का २६ वां दिन

मुकेश सिंघल
ऋणशोधक

Public Notice

Public at large is hereby informed that my client Firozuddin, son of Shri Azizuddin and Abdullah son of Shri Merajuddin, both residents of 3330, Gali Sawar Khan, Kucha Pandit, Delhi, have severed up all their relations and connections with Mst. Saniya, D/o Shri Merajuddin, who has married with Abdur Rehman, son of Shri Liyaqat Ali, resident of 3253, Gali Farhat Ullah,, Kucha Pandit, Delhi, on 15.04.2019 without the consent and knowledge of our clients and has taken all her jewellery and other things. In case any one deal with the said Mst. Saniya in future, he or she shall be doing so at his/her own risk and responsibility and my clients shall not be held liable and responsible for the same in any manner whatsoever.
Satya Prakash, Advocate, Chamber No. 344, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

Public Notice

Know All Men that my client Smt. Geeta & Wife of Late Sh. Ravinder Resident of House No. 646, Pana Udyan, Mamoor Pur Narela Delhi-110040, have severed all the relations with his son namely Himanshu disowned them from all his movable/immovable properties with immediate effect and also being disobedient and my client shall not be responsible for their any acts and deed.
Mukesh Gupta, Advocate,Ch. No. 108, BGS Block, Tis Hazari Court, Delhi-110054.

उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

निविदा सूचना सं.: EL-C-ALD-169-19-20 **ई-निविदा सूचना** **दिनांक: 17.06.2019**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत अभियंता/निर्माण/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा दिनांक **22.07.2019** समय **15.00** बजे तक आमंत्रित करते हैं। निविदा सम्बन्धी विस्तृत विवरण निम्नवत् है।

निविदा सं. और कार्य का नाम	प्रकाशित कार्य की लागत (₹ में)	धरोहर राशि (₹ में)	टेण्डर फार्म की कीमत (₹ में)	कार्य अवधि
EL-C-ALD-169-19-20 : 25 के.वी., ए.सी. इलेक्ट्रीफिकेशन वर्क इन कनेक्शन विथ सूबेदारगंज-प्रोवीजन आफ वाशिंग पिट लाइन्स आफ 26-कोच लेन्थ ईच (02 नं.) विथ वन स्टेबलिंग लाइन आफ इक्वल लेन्थ।	₹ 72,78,779.98	₹ 1,45,600/-	₹ 5,000/-	12 माह

निविदा खुलने की तिथि: 22.07.2019, नोट: 1. उपरोक्त सभी ई-निविदाओं का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर समय **15.00** बजे टेण्डर खुलने की तिथि तक उपलब्ध है। **2.** उपरोक्त सभी निविदाओं में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डरों को चाहिए कि वे अपने आपको **Digital** हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ **IREPS** की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। **3.** किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए **IREPS** की वेबसाइट की हेल्पलाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 849/19 (R)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @ CPRONCR

SHAREKHAN LTD
(NSE SEBI Registration No. INB/INF/INE231073330 Member of National Stock Exchange of India Ltd. - Trade I.D.10733, BSE SEBI Registration No. INB/INF011073351 Member of Bombay Stock Exchange Ltd.-Clg. No.748 & MCX-SX SEBI Registration No.INE261073330)
Lodha, I Think Techno Campus, 10th Floor, Beta Building, Off. JVLR, Opp. Kanjurmarg Railway Station, Kanjurmarg (E), Mumbai - 400 042, PH. No. 61150000

NOTICE

This is to inform that we had initiated the cancellation of our below Authorised Person.

Name of Authorised Person	Trade Name	Address	AP Registration No.
Milin Vyas	Milin Vyas	VyasH. No. 864, Sector - 14, Near Main Market, Gurgaon - 122001	NSE - AP2069107421 Dated 28-05-2018 BSE - AP0107480176997 Dated 31-05-2018

Please note that above mention Authorised Person is no longer associated with us. Any person dealing with above mention Authorised Person should do so at their own risk, Sharekhan Ltd shall not be liable for any dealing with him.
In case of any queries Investors are requested to inform Sharekhan Ltd within 15 days from the date of issuing this notice.

For Sharekhan Ltd
Director/Authorised Signatory
Date:- 26.06.2019

Sharekhan Comtrade Pvt. Ltd.
(Member of Multi Commodity Exchange of India Limited (INZ000041331) - 55400 & Member of National Commodity & Derivatives Exchange Limited (INZ000041331) – 1227)
18th Floor, North East Wing, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028 PH. No. 61150000

NOTICE

This is to inform that we had initiated the cancellation of our below mentioned authorized person

Name of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
Milin Vyas	Milin Vyas	H.No.864, Sector - 14, Near Main Market, Gurgaon - 122001	MCX/AP/117162 Dated 31-05-2018 NCDEX - 116769 Dated 31-05-2018

Please note that above mention Authorised Person is no longer associated with us. Any person dealing with above mention Authorised Person should do so at their own risk, Sharekhan Comtrade Pvt. Ltd shall not be liable for any dealing with him. In case of any queries Investors are requested to inform Sharekhan Comtrade Pvt. Ltd within 15 days from the date of issuing this notice

For Sharekhan Comtrade Pvt. Ltd.
Director/Authorised Signatory
Date:- 26.06.2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
केन्द्रीय कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021
शाखा कार्यालय: परिसम्पत्ति वसूली शाखा, 346, स्टैंडर्ड बिल्डिंग, तीसरा तल, डॉ. दादाभाई नैरोजी रोड, फोर्ट, मुम्बई-400023

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियो की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्यत: आम जनता और विशेषकर कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया है, उसे प्रतिभूत लेनदार द्वारा नीचे वर्णित कर्जदारों एवं गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों के अधीन वर्णित तिथियों को ''जैसा है जहां हैं'' और ''जो है जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और धरोहर जमा राशि (ईएमडी) प्रत्येक सम्पत्ति के सामने भी दी गई है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का नाम एवं शाखा का सम्पर्क विवरण	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी/बोली बढ़ोतरी (रु. लाख में)
1.	**मैसर्स यूनिवर्सल फ्रेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा. लि.** श्री राजीव ए भटनागर श्रीमती प्रमिला ए भटनागर श्री शेषागिरी कुलकर्णी श्रीमती शुभा एस. कुलकर्णी (क्रॉफोर्ड मार्केट शाखा श्री सी.बी. प्रसाद-9167980363)	15.05.2017 रु. 1610.31 लाख	फ्लैट नं. 26, दूसरा तल, टॉवर-एफ, रिचमंड पार्क अपार्टमेंट, नजदीक सुपर मार्ट-1 के सामने, सेक्टर-43, डीएलएफ-4, जिला गुरूग्राम (हरियाणा), पिन-122001, परिमाप सुपर एरिया 2055 वर्ग फीट एवं कॉर्पेट एरिया 1643.20 वर्ग फीट	184.86 18.49 1.00

उपरोक्त क्र.सं. 1 के लिए-दस्तावेज एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि **29.07.2019 को सायं 5.00 बजे** तक और ई-नीलामी **तिथि: 31.07.2019** ईएमडी उपरोक्त अनुसार, निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करनी होगी-**खाता: 3330130839, खाता का नाम: परिसम्पत्ति वसूली शाखा, लाभार्थी का नाम: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईएफएससी कोड: सीबीआईएन0280606**
नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडग़ांव, हरियाणा-122015, हेल्पलाइन नं. +91-124-4302020/21/22/23, 7666361801, 9594597555, 7738866326 हेल्पलाइन आईडी: support@bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी और सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए कृपया कार्यदिवसों पर कार्यलय अवधि के दौरा उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुसार नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तो के लिए कृपया हमारी बैंक वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर दिये गये लिंक का अवलोकन करें।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एआरबी
ई-मेल आईडी arwmmzo@centralbank.co.in

तिथि: 25.06.2019
स्थान: मुम्बई

केरल के पुनर्निर्माण में लगेंगे तीन साल : विजयन

तिरूवनंतपुरम, (भाषा)। केरल सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि पिछले साल की भयानक बाढ़ के बाद राज्य के पुनर्निर्माण में तीन साल लगेंगे।राज्य सरकार ने विपक्षी यूडीएफ के आरोपों को खारिज कर दिया कि कई बाढ़ पीडति़ों को अब तक सहायता राशि नहीं मिली है। कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सदस्यों ने बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में राज्य सरकार की नाकामी के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि पिछले साल अगस्त में बाढ़ से प्रभावित हुए किसी भी परिवार को मदद प्रदान करने से उनकी सरकार ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, करीब सौ साल के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ के बाद राज्य के पुनर्निर्माण में कम से कम तीन साल लगेंगे। बाढ़ के बाद के कार्यों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। सरकार बाढ़ से प्रभावित किसी भी परिवार वंचित नहीं रखेगी। उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया कि कई परिवारों को बाढ़ के बाद घोषित सहायता राशि नहीं मिली है।

दस रुपए के नोट को लेकर व्यक्ति की हत्या

मुंबई, (भाषा)। मुंबई के दादर इलाके में 10 रुपये के नोट को लेकर हुई बहस के चलते 35 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की रात पीडति़ हनीफ सिद्दीकी दादर (पश्चिम) रेलवे स्टेशन के बाहर से रेहड़ी वाले से सब्जी खरीद रहे थे। पुलिस ने बताया कि पुराना नोट देने पर दोनों के बीच बहस होने लगी और इसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई जिस दौरान रेहड़ी ने वाले सिद्दीकी को कथित रूप से चाकू घोंप दिया। उन्होंने बताया कि सिद्दीकी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गाय। सब्जी विक्रेता मौका-ए-वारदात से फरार हो गया था और उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

चार साल के बच्चे की हत्या, बलि देने की आशंका

बरेली, (भाषा)। फरीदपुर थानाक्षेत्र में चार साल के मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ है। बच्चे के हाथपैर बंधे हुए थे, जिससे पुलिस को आशंका है कि उसकी हत्या की गयी है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार शाम बच्चे का शव गांव में मंदिर के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। बच्चे के हाथ पैर बंधे हुए थे। बच्चे का शव देखकर ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि फरीदपुर थानाक्षेत्र के ग्राम पीपरथरा निवासी कृपाल का चार साल का इकलौता बेटा राजकुमार मंदिर में प्रसाद लेने गया था। राजकुमार का किसी ने अपहरण कर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसका शव गांव में बने मंदिर के पास मिला। पुलिस ने बताया कि बच्चे के हाथपैर रस्सी से बंधे हुए थे और गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि बच्चे का एक कान कटा हुआ था और उसके रोली का टीका लगा हुआ था। इससे ग्रामीणों को आशंका है कि बच्चे की बलि दी गई है।